राजकोषीय नीति कार्य-योजना विवरण

क. राजकोषीय नीति का सिंहावलोकन

1. आर्थिक सुधारों ने 1990 के दशक के आरंभ से बाह्य एवं मौद्रिक क्षेत्रक नीतियों में विश्वसनीय अनुलाभ प्राप्त किये हैं। मुद्रास्फीति अगस्त, 1991 में अधिकतम 17 प्रतिशत से कम होकर लगभग 5 प्रतिशत पर आ गई है। अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ी है। अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन से सेवा क्षेत्रकों का हिस्सा मजबूती के साथ बढ़ना जारी है। इस अवधि के दौरान कर सुधारों ने सुदृढ़, बढ़ते हुए कर आधार की नींव डाली है। हमारे लगभग 112 बिलियन अमरीकी डालर के कुल विदेशी ऋण में से केवल लगभग 5 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण है। पूंजी लेखे के क्रमिक एवं सावधानीपूर्ण उदारीकरण ने अल्पकालिक पूंजी अंतप्रवाहों को नियंत्रित करना और परिपक्वता प्रोफाइल, उपभोक्ता उपयोग आदि को विवेकपूर्ण मानदण्डों के अंतर्गत रखा है। ये बड़ी प्रभावकारी उपलब्धियां हैं। वैदेशिक क्षेत्र में स्थिरता आई है और केन्द्रीय बैंक अब स्वायत्त मौद्रिक नीति का संचालन कर सकता है। तथापि निरन्तर राजकोषीय घाटे अर्थव्यवस्था को पूर्ण क्षमता से फलने-फूलने और भौतिक एवं सामाजिक दोनें किस्म की गुणवत्तापूर्ण आधार सुविधा प्रदान करने में, जो पुनरुत्थानशील अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है, बाधा उत्पन्न करते हैं।

2. राजकोषीय तनाव, जो 5वें वेतन आयोग के बाद चरम सीमा पर था और आर्थिक मंदी को मुख्यतः कर संग्रहणों में सुधार और ब्याज बोझ को हल्का करने के कारण अब सामान्य हो गया है। अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय दबाव दूर करने के प्रयत्न के रूप में सरकार कर आधार बढ़ाने और कर संग्रहण सुधार के प्रयत्न करती आ रही है। इस समय की राजकोषीय चुनौती है सुधरे हुए कर संग्रहण के द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ता की प्राप्ति सुनिश्चित करने और रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा, सब्सडियों, राज्यों की सहायता की बढ़ती हुई व्यय आवश्यकताओं से ऋण को उदार ब्याज दर प्रणाली को बचाना और सामाजिक आधार संरचना के बित्त पोषण में अपेक्षित अंतरालों को पूरा करने की आवश्यकता। वर्तमान राजकोषीय नीति को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना है।

ख. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय नीति

3. जैसा कि वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण में उल्लेख किया गया है वर्ष 2005-06 का बजट अर्थव्यवस्था के लिये एक सकारात्मक दृष्टिकोण, घरेलू एवं निर्यात मांग में तेजी की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जा रहा है। कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, ने मुद्रास्फीतिकारी दबावों को उत्पन्न किया था परन्तु इन पर काबू पा लिया गया है और वृद्धि की गति बनाये रखी गई है। यह अर्थव्यवस्था की समुत्थान शक्ति, भूमण्डलीय सुधार से उत्पन्न लाभों और बढ़े हुए व्यापार एवं निवेश सम्बन्धों को प्रदर्शित करता है।

4. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम. पी.) से उत्पन्न राजकोषीय नीति से रोजगारोन्मुखी वृद्धि प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की दर सुविधाजनक रूप से बनेगी, इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य देख-रेख सार्वभोमिक रूप में सुलभ होने का प्रावधान और प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को सौ दिनों का रोजगार प्रदान करने का आश्वासन भी परिकल्पित है। राजकोषीय सुदृढ़ता बनाये रखने के साथ ही, राज्यों को अधिक राजकोषीय अंतरण की संभावना है। अगले वर्ष का एजेंडा ""भारत निर्माण"" के एक बड़े एजेंडा का हिस्सा है जिसके अंतर्गत सरकार का इरादा ग्रामीण भारत को सिंचाई, सड़कों, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ग्रामीण दूर संचार संयोजनता के 6 क्षेत्रों में नई सुविधायें प्रदान करने का है। सरकार कर आधार व्यापक बनाने, व्यय योग्य आय बढ़ाने, मांग बढ़ाने, और

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब तक उपेक्षित निवेश को बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि में तेजी लाते एवं उसे व्यापक आधारित बनाने के लिए अगली पीढ़ी के कर सुधारों हेतु वर्तमान अनुकूल दशाओं का उपयोग करेगी।

5. अतः वर्ष 2005-06 के बजट के माध्यम से सरकार की बचनबद्धता राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाने की है जिन्हें बचतों को बढ़ावा देने और इन बचतों को उत्पादनकारी निवेश में मार्गीकृत करने और आवश्यक सामाजिक व्ययों को निधि पोषित करने हेतु उपाय एवं साधन तैयार करने की दृष्टि से बनाया गया है। विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन, सामाजिक आधार संरचना सुदृढ़ करना और समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करना है। विशेष ध्यान देने के लिए लक्षित क्षेत्र हैं कृषि, वस्त्र-उद्योग, ग्रामीण रोजगार, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, शिशु देखभाल, महानगरों में शहरी नवीकरण और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का पोषण।

कर नीति

6. उच्च वृद्धि का वर्तमान दौर हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसका प्रयोग देश की राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। हमें विकास की गति को बाधित किए बिना अपने राजस्व में वृद्धि करनी चाहिए। सरकार का इरादा है कि कर से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सुधार लाने, कर-दाता आधार का विस्तार करने, कर अनुपालन में वृद्धि करने और कर प्रशासन को अधिक कार्यदक्ष बनाने के लिए बड़े कर सुधार किए जाएं। सरकार एक ऐसी कर प्रणाली की ओर अग्रसर है जो छूटों को युक्तिसंगत बनाकर सन्तुलित दरों और व्यापक आधार पर आधारित है।

अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क

- सीमा शुल्क दरों को आसियान देशों में प्रचलित दरों के निकट लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुरूप, कृषि-भिन्न आयातों की सर्वोच्च दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की जा रही है। कच्ची सामग्रियों और ईंधन विनिर्माण और अभितट मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा पूंजीगत वस्तुओं निवेश और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से के लिए शुल्कों में अत्याधिक कटौतियां की गई हैं। तदनुसार, प्रतिलोम शुल्क ढांचे से संबंधित विसंगतियों का समाधान भी किया जा रहा है।
- पैट्रोलियम क्षेत्रक से संबंधित शुल्क संरचना को तर्क संगत बनाया जा रहा है। कच्चे पेट्रोलियम पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। घरेलू उपयोग के एल.पी.जी. और सब्सिडी वाले मिट्टी तेल पर सीमा शुल्क शून्य होगा। दोनों उत्पादों पर उत्पाद शुल्क भी शून्य होगा। मोटर स्प्रिट (एम.एस.) और डीजल (एच.एस.डी.) सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा-शुल्क 20 या 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत और इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क यथा मूल्य और विनिर्दिष्ट शुल्कों के सम्मिलित रूप में निर्धारित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परिवर्तन राजस्व विभाग के लिये राजस्व शून्य हैं अतः शुल्क संरचना में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इन उत्पादों के खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए।
- सरकार का इरादा जितना सम्भव हो सके, उतनी अधिक वस्तुओं को 16 प्रतिशत की सेनवैट दर में लाने का है। अतः वर्तमान में 5 मदों जिन पर 24 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है, उनमें से तीन मदों पर, उत्पाद शुल्क घटाकर 16 प्रतिशत किया जा रहा है।
- वस्त्रोद्योग को कोटा पश्च व्यवस्था में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, कर प्रणाली की युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।
- रोजगार-मुख वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा देने की लघु उद्योग की संभावना को महसूस करते हुए टर्नओवर पर आधारित लघु उद्योग छूट की सीमा 3 करोड़ रुपए के स्तर से 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की जा रही है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को वित्त पोषित करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए गुटका, चबाने का तम्बाकू, नसवार और पान मसाला सहित अन्य तम्बाकू उत्पादों पर बढ़ा हुआ उत्पाद शुल्क/अधिभार लगाया जा रहा है, परन्तु बीड़ी पर यह शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

सेवा कर

- अर्थव्यवस्था में सेवाओं के बढ़ते हुए हिस्से को परिलक्षित करने के लिए सेवा कर का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
- लघु सेवा प्रदाताओं को राहत के रूप में प्रतिवर्ष 4 लाख रुपये तक का सकल कारोबार करने वालों को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव है।

प्रत्यक्ष कर

- व्यक्तिगत आय कर ढांचे को युक्तियुक्त और सरल बनाया जा रहा है। पिछले बजट में यह सुनिश्चित किया गया था कि 100,000 रुपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों द्वारा किसी आयकर के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष करों में बड़े परिवर्तन के हिस्से के रूप में कर ब्रेकेट्स और कर दरों को पुनर्योजित करने और 10 प्रतिशत अधिभार के स्तर को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप उच्चतर रियायत सीमाओं और कर ब्रेकेट बढ़ाने को देखते हुए "मानक कटौती" समाप्त की जाएगी। विभिन्न रियायतों और कटौतियों, जिनका उद्देश्य स्पष्टतः बचतों को बढ़ावा देना है, के स्थान पर बचतों के लिये 1 लाख रुपये की समेकित सीमा रखने का प्रस्ताव है, जो कर की गणना से पहले आय से की जाने वाली कटौती की प्राथमिक छूट सीमाओं के अतिरिक्त है।
- कर दरों में कमी करके और वर्तमान उदार मूल्यह्रास मानदंडों, जो मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए वास्तविक वाणिज्यिक आधारों से अलग हैं, में संशोधन करके कंपनी कर व्यवस्था को भी युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।
- आय कर विवरणी दाखिल करने के लिए छः मानदंडों में से एक में संशोधन करके इसमें से मोबाइल टेलीफोन को हटाया गया है लेकिन प्रति वर्ष 50,000 रुपए से अधिक बिजली बिल की आदयगी को शामिल किया गया है।
- कर अनुलाभों (परिवहन तथा केंटीन सेवाओं को छोड़ कर), जिनपर सभी कर की अदायगी नहीं करनी पड़ती, पर अनुषंगी लाभ कर लगाया जा रहा है। जहां पर कर्मचारियों द्वारा इन लाभों का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है और ये लाभ कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग प्राप्त नहीं होते वहां पर इस कर की अदायगी नियोक्ता द्वारा की जाएगी।
- कोई अयोग्य राहत अथवा क्षमादान दिए बिना काले धन का पता लगाने के लिए दो कर वंचन रोधी उपाय आरम्भ किए जा रहे हैं। पहला बैंको से एक ही दिन में 10,000 रुपए अथवा अधिक के आहरण पर 0.1 प्रतिशत की दर से एक नया कर। दूसरा, सभी बैंकों द्वारा सरकार को ऐसी सभी जमाराशियों की सूचना देना जो ब्याज पर टीडीएस से मुक्त हैं।

नीतिगत परिवर्तनों का औचित्य

- सीमाशुल्कों में परिवर्तन सामान्यतः एसियान देशों में प्रचलित शुल्क दरों की तरफ बढ़ने संबंधी मध्यावधिक उद्देश्य के अनुरूप हैं। सेवा कर दायरे में 12 अतिरिक्त सेवाओं को शामिल किया जाना, सकल घरेलू उत्पाद में उनके बढ़ते हुए हिस्से के अनुरूप सेवाओं के अपर्याप्त कराधान किए जाने के कारण उत्पन्न विकृतियों को हटाने से संबंधित मध्यावधिक उद्देश्य के अनुरूप है। उत्पाद शुल्क संरचना में परिवर्तनों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य सवर्धित कर की शुरूआत करने और अंततः वस्तुओं और सेवाओं के समेकित कराधान की तरफ बढ़ने संबंधी मध्यावधिक उद्देश्य को पूरा करना है।

- चूंकि सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 52 प्रतिशत बैठता है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक कुशलता के हित में छोटे सेवा प्रदायकों को राहत प्रदान करते हुए सेवा कर दायरे का विस्तार किया जाए।

- निगम आय कर दर, उस पर अधिभार तथा मूल्यह्रास की दरें एक दूसरे से संबद्ध हैं। सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत निवेशक को ऐसी दरों पर मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वह परिसम्पत्ति की आर्थिक अवधि की समाप्ति से पहले उसे बदल सकता है। भारत में, हमने मूल्यह्रास के अतिरिक्त एक प्रारम्भिक मूल्यह्रास की छूट भी दी है जिससे नये निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रकार, बहुत सी लाभ कमाने वाली कंपनियां उदारीकृत मूल्यह्रास दरों और छूटों तथा प्रोत्साहनों का फायदा उठा कर कानून के दायरे में रह कर भी कम कर अदा कर रही हैं। इसके साथ ही, चालू मूल्यह्रास दरें श्रमिकों की बजाए पूंजी लगाने के पक्ष में जाती हैं। इस प्रस्तावित कर संरचना से कर की दर में लगभग 3 प्रतिशत की राहत मिलेगी, नये निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा निगम करदाताओं के सभी वर्गों में समानता सुनिश्चित होगी।

- व्यक्तिगत आय कर के लिए प्रभावी शुन्य कर स्लैब इस प्रकार तैयार किए गए हैं जिससे प्रयोज्य आय में बढ़ोत्तरी हो तथा करदाता अपनी बचतों तथा निवेशों की उदारता से योजना बना सकें। आशा है कि इससे कर अनुपालन और बेहतर होगा। हालांकि यह सच है कि प्रभावी शून्य-कर व्यक्तिगत आय अब प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक होगी लेकिन यदि हम शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय पर विचार करें तो यह अंतर बहुत अधिक नहीं होगा क्योंकि व्यक्तिगत आय में कृषि संबंधी आय शामिल नहीं होती तथा प्रशासनिक कारणों से शहरी रहन-सहन की ऊच्च लागतों की दिशा में मद-वार कटौती करना व्यवहार्य नहीं होगा।

आपातिक तथ अन्य देयताएं

7. सरकार नियंत्रण और नियमन हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाकर एक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना चाहती है। नए निवेश के लिए ऋण तथा अवसंरचना (ऊर्जा, परिवहन तथा संचार) के लिए चूंकि अब पहले की तरह बड़ी रूकावटें नहीं रहीं इसलिए निवेश आकर्षित करने के लिए सरकारी गारंटी जैसी आवश्यकताएं अब कम हो गई हैं। इसलिए, सरकार गारंटियों को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं तक विशेषकर बहुपक्षीय अभिकरणों से विदेशी ऋणों के रूप में सीमित रखेगी। सरकार किसी भी ऐसे उधारकर्त्ता, जो इसके स्वामित्व तथा नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है, को गारंटिया नहीं देगी। आम तौर पर, सरकार ऐसे सामान्य वाणिज्यिक प्रचालनों, जिसे ऋणदाता द्वारा उचित परिश्रमशीलता से प्राप्त किया जाना चाहिए, को गारंटी प्रदान नहीं करेगी।

8. वित्तीय रूप से सक्षम अवसंरचनात्मक परियोजनाओ, जिन्हें दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीबी) आरम्भ किया जा रहा है। 2005-06 के लिए, एसपीवी के लिए सरकारी गारंटी वाले ऋण हेतु सीमा 10,000 करोड़ रुपए होगी।

प्रशासित वस्तुओं का मूल्यनिर्धारण

9. इस समय, प्रशासित उत्पादों के मूल्य निर्धारण से संबंधी नीति में किसी और परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों से संबंधित स्थिति अभी भी परिवर्तनशील है तथा इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जब भी आवश्यक होगा, उपभोक्ताओं, तेल कंपनियों तथा सरकार के बीच भार की एक समान हिस्सेदारी करके समायोजन किए जाएंगे।

सरकारी उधार, ऋण देना तथा निवेश

10. 2004-05 के बजट में राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में राज्यों को प्रोत्साहित करने की सरकार की यह मंशा स्पष्ट हुई है कि वे केन्द्रीय बजट के मध्यम से राज्य ऋण का मार्ग अपनाने के बजाय

सीधे ही बाजार में प्रवेश करें और राज्यों को प्रदान किए जाने वाले बाह्य ऋणों पर उन्हीं शर्तों के अधीन विचार करें जिनके अन्तर्गत ये केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इन दोनों को अब 12वें वित्त आयोग की सिफरिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

11. सरकारी ऋण आन्तरिक तथा बाह्य दोनों-के प्रबन्धन के सम्बन्ध में कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ है। यह राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु बाजार उधार पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता के पक्ष में बनी रहेगी; उदार ब्याज दर प्रणाली को प्रोत्साहित करेगी; दीर्घकालिक बचतों को प्रोत्साहन देगी और सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में एक ठोस और व्यापक बाजार का विकास करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी ऋण देने की प्रवृत्ति कमजोर हो रही है क्योंकि उन उपक्रमों को अब वाणिज्यिक शर्तों पर बाजार से सीधे उधार लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12. सरकार ने बजट से विनिवेश प्राप्तियों को अलग रखने और इन्हें एक पृथक आधारभूत निधि में निवेश करने का निर्णय लिया है। इस निधि से प्राप्त आय को केवल सामाजिक आधारभूत ढांचे के वित्तपोषण हेतु उपयोग में लिया जाएगा और संचालन योग्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी।

राजकोषीय सुधार को बनाए रखने हेतु सरकार की कार्ययोजना

कर प्रशासन में पहलकदमियां

13. कर सुधारों के प्रशासनिक आयाम के मुख्य आधार ये हैं (i) विभाग की व्यवसाय प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण (ii) बेहतर करदाता सेवा के माध्यम से स्वैच्छिक कर अनुपालना को प्रोत्साहन देना (iii) सुधरे हुए ई-अभिशासन के माध्यम से प्रत्यक्ष अतंरापृष्ठ को न्यूनतम करने सहित करदाताओं की अनुपालना लागत में कमी।

- कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) और ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) अग्रणी कार्यक्रम हैं। वृद्धि स्वचालन सूचना के संयोजन तथा उच्च मूल्य लेन-देनों को सूचित करने की संपर्कता विवरणियों, फार्मों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कर भुगतान चालानों का अमूर्तीकरण और करदाता के बैंक खाते (ईसीएस) में वापसी को इलैक्ट्रॉनिकी विधि द्वारा जमा करने सहित समयबद्ध वापसियों पैन आवेदन पत्र की ई-फाइलिंग और विवरणियों की ऑन-लाइन ई-फाइलिंग।
- कर सूचना नेटवर्क को विस्तारित किया जा रहा है जिससे टीडीएस विवरणीयों की ई-फाइलिंग; स्रोत पर कर कटौती में कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के आंकड़ों का परितुलन/स्रोत विवरणियों पर कर संग्रहण (टीसीएस); टीडीएस प्रमाणपत्रों का अन्तिम तौर पर अमूर्तीकरण; उच्च मूल्य के लेन-देनों की वार्षिक सूचना विवरणियों (एआईआर) का कम्प्यूटरीकरण और आय विवरणियों पर कार्रवाई से सम्बन्धित सूचना का एकीकरण सुगम होगा। जहां एआईआर के कम्प्यूटरीकरण से कर आधार को व्यापक तथा ठोस रूप प्रदान करने में सहायता मिलने की आशाहै, वही टीडीएस तथा टीसीएस प्रमाण पत्रों का अमूर्तीकरण से कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए इंटरनेट पर आय विवरणियों की कागज रहित फाइलिंग करना भी सुगम होगा। इसके अलावा तद्नुरूपी कटौती किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा दावा किए गए की तुलना में कटौती करने वालों के द्वारा कटौती की गयी टीडीएस तथा टीसीएस के प्रति-सत्यापन से जालसाजी समाप्त होगी। टीडीएस विवरणियों की ई-फाइलिंग से अनुपालना लागत में कमी आएगी। ई-गवर्नेंस प्रयासों के भाग के रूप में, हाल ही में एअर कार्गो, बंगलौर में सीमाशुल्क इलेक्ट्रौनिक भुगतान हेतु एक प्रायोगिक योजना तैयार की गयी। इससे करदाता तथा कर संग्रहणकर्ता और लेन-देन लागत तथा कर निर्धारिती के बीच भौतिक अन्तरापृष्ठ में कमी आएगी। इस सुविधा को देश के अन्य भागों में भी धीरे-धीरे विस्तारित किया जाएगा। इसी प्रकार, आयात और निर्यात संबंधी सीमाशुल्क की ई-फाइलिंग तथा आय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा सेवा कर विवरणियों की ई-फाइलिंग से करदाताओं की अनुपालन लागत कम हो जाएगी। अन्य ई-गवर्नेंस उपायों, जिनके बारे में कार्य चल रहा है, में उत्पाद शुल्क चालान को अमूर्त रूप देना, सीबीईसी डाटा केन्द्र तैयार करना आदि शामिल हैं।

- करों की बकाया राशियों की प्रभावी और पर्याप्त वसूली के लिए बहु-पक्षीय कार्यनीति को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए कार्य बल।

- उत्पादन को छिपाने, गुप्त रूप से दूर ले जाने, सेनवेट क्रेडिट का दुरुपयोग तथा केन्द्रित प्रवर्त्तन हेतु कर निर्धारण योग्य मूल्यों की गलत घोषणा जैसे कार्य प्रणालियों के संदर्भ में राजस्व आसूचना, वस्तुओं की पहचान तथा मूल्यांकन को वैज्ञानिक तरीके से निपटाना।

- अन्य उपायों में ये शामिल हैः- ऐसी आयातित वस्तुओं, जिनका पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है लेकिन इनकी निकासी नहीं की गई है, की शीघ्र निकासी करना; जिन मामलों में अंतिम उपयोग आधारित छूटों के लिए दावा किया गया है, उनके बारे में अंतिम उपयोग संबंधी स्थिति के अनुपालन की जांच करना; निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात संबंधी दायित्वों की मानीटरिंग करना। यूनिट मूल्यों में असाधारण परिवर्तनों पर विशेष नजर रखना। उत्पादन तथा निकासी संबंधी प्रवृत्तियों पर नजर रखना। इस बात पर नजर रखना कि कम दरों तथा छूट वाली मदों की घोषणा बहुत अधिक न की जाए। मुख्य कच्चे माल तथा उत्पादन की प्राप्ति और उपयोग के बीच की अनुरुपता पर नजर रखना ताकि सेनवेट सुविधा का दुरुपयोग न हो तथा उत्पादन एवं निकासियों को छिपाया न जाए।

सरकारी व्यय प्रशासन संबंधी पहल

- परिव्यय का अर्थ अनिवार्यतः परिणाम नहीं होता। हमें धन का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए व्यय का पुनः विन्यास करना होगा। कार्यान्वयन की गुणवत्ता के बेहतर बनाने तथा वितरण प्रणाली के कौशल तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान, सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकास परिणामों को आंकने के लिए एक प्रणाली तैयार की जाएगी।

- संशोधित तथा अद्यतन "सामान्य वित्तीय नियमावली" को 1 जुलाई, 2005 तक लागू कर दिया जाएगा। इन नए व्यय प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक मंत्रालयों को और अधिक अधिकार प्रदान किए जाने पर जोर दिया जाएगा जिससे वे अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन कर सकें। पुनर्विनियोग संबंधी मानदंडों की समीक्षा की जाएगी तथा सितम्बर, 2005 तक लोक लेखा समिति के सामने विशिष्ट प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाएंगे जिससे मंत्रालय/विभाग अपने विभागीय बजटों का सहगामी प्रोत्साहनों और हतोत्साहन के साथ प्रबंधन कर सकें। वित्त मंत्रालय बजटीय/राजकोषीय नियंत्रण, योजनाओं को तैयार करने और उनमें संशोधन करने, प्रयोक्ता प्रभारों और खर्च की सीमाओं और जनशक्ति सीमाओं को प्रशासित करने संबंधी मानदंडों और शुल्कों की समीक्षा करना, आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तरदायिता तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और उच्च लागत वाले व्यय और ऐसे व्यय जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- तिमाही बजटीकरण और बेहतर राजकोषीय नियंत्रण की ओर सहज गति में राजस्व संग्रहण और व्यय के लिए तिमाही उच्चतम सीमाएं व लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उच्चतम सीमाओं से अधिक व्यय के साथ निर्धारित उच्चतम सीमाओं से अधिक किसी व्यष्टि व्यय तथा वे व्यय जो निर्धारित मानदंडों से संचालित नहीं हो रहे हैं, के लिये वित्त मंत्रालय से स्वीकृति लेना अपेक्षित होगा।
- निधियों की निर्मुक्ति की प्रणालियों व प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा की जाएगी व उन्हें पुनर्गठित किया जाएगा। केन्द्र सरकार की निधियां नकदी घाटों के वित्तपोषण का ब्याज मुक्त स्रोत बन गई हैं। राजकोषीय सुधार की प्रमात्रा व तात्कालिकता को देखते हुए एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां केन्द्र् सरकार पहले की तरह संलग्न नहीं बने रह सकती। यह उचित और न्यायसंगत होगा कि जवाब देही की मांग की जाए, व्ययित धनराशि के अधिमान की मांग की जाए और अंतिम आशयित लाभभोगी को सुधरी हुई सेवा सुपुदर्गी की मांग की जाए। इसलिए मंत्रालयों/विभागों से कहा जाएगा कि उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र, व्यय विवरणियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करें और यह

सुनिश्चित करें कि ये जहां कहीं देय हों सभी 30 जून, 2005 तक प्राप्त कर लिए जाएं। इस तारीख के पश्चात वित्त मंत्रालय से सुस्पष्ट स्वीकृति के बिना चूक करने वाले किसी भी निकाय को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकती। राज्य सरकारों से अपेक्षित होगा कि उपकरों से निधिपोषित सहित सभी केंद्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, चुंगी द्वारा निधि घोषित स्कीमों और राज्य आयोजना पर व्यय के बारे में मासिक व्यय विवरणियां भिजवाएं। समाज क्षेत्र के व्यय के काफी भाग का संचालन करने वाले मंत्रालय अर्थात ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो अनेक स्वायत्त निकायों को निधियां संवितरित कर रहें हैं, वे अपने नकदी प्रबंधन को सरल व कारगर बनाने के लिए कार्य करेंगे। 10 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करने वाले प्रत्येक जिला स्तरीय निकाय से अपेक्षित होगा कि किसी एक नामांकित बैंक में अलग बैंक खाता खोले और केन्द्रीय बजटीय अंतरण इलैक्ट्रानिक रूप से उनके खाते में जमा करने के प्रबंध किए जाएंगे। ये बैंक निर्दिष्टानुसार केन्द्र सरकार में नामांकित प्राधिकारियों को नकद शेष की स्थिति की सूचना देंगे। इस व्यवस्था को दिसंबर. 2005 तक लागू करने का लक्ष्य है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। राज्यों के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार वास्तविक कर संग्रहण के संबंध में अद्यतन आंकड़ों के आधार पर मासिक किस्तों में करों में राज्यों के हिस्से की निर्मुक्ति पर विचार करेगी।

- पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के प्रयास में मंत्रालयों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपनी मासिक प्राप्तियों और व्यय का सारांश सर्व साधारण के लिए (अपनी वेबसाइट आदि के माध्यम से) जारी करें और खासकर विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त स्कीम-वार निधियों का प्रकटीकरण करें। लेखा -परीक्षा रिपोर्टों पर समुचित कार्रवाई करते हुए बकाया की निकासी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

- एक ही प्रकार के लाभ भोगियों को लक्षित स्कीमों के विलयन के अलग-अलग प्रयासों के वाबजूद तथा उन स्कीमों को हटाने से जो अपनी उपयोगिता से अधिक समय तक हैं उनमें सरकार की आयोजना-स्कीमों के पोर्टफोलियों पिछले वर्षो में आकार में बढ़े हैं व जटिलता उत्पन्न हुई है। अनेक स्कीमों के अंतर्गत बजटीय परिव्यय इतने कम हैं कि व्यावहारिक रूप से आशयित लक्ष्य प्राप्त करने में अप्रभावी हैं। पूरे वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय योजना आयोग के साथ परामर्श से इन सभी स्कीमों की प्रणालीगत समीक्षा करेगा और ऐसी स्कीमों की पहचान करेगा जो वास्तव में अपना महत्व खो चुकी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की वचनबद्धता के अनुरूप केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों की पुनरीक्षा की जाएगी।

- सरकार का आशय राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विचारित सब्सिडियों की पुनर्संरचना करना है ताकि ये लाभ उन व्यक्तियों द्वारा हड़प न कर कर लिए जाएं जो इन सब्सिडियों के लाभभोगियों के लिए आशयित नहीं है। कृषि मंत्रालय का इरादा विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित अधिप्राप्ति को छोड़े बगैर, विशेषतः अपारंपरिक राज्यों में, विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिक लागत प्रभावी अधिप्राप्ति की जाए। उर्वरक सब्सिडी बिल की काफी काट-छांट की जा सकती है यदि अब आपूर्ति स्टाक के रूप में प्रयुक्त नाफ्था और ईंधन तेल को प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम की बांड निर्गम की हाल की सफलता निगम पर ब्याज भार घटाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आशयित लाभभोगियों को प्रभावित किए बगैर लागतें कम करने के नए तरीके खोजने के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय लागतों और वित्त प्रभारों की बारीकी से जांच की जाएगी। सरकार सभी उपलब्ध विकल्पों की जांच करेगी।

- कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने और वाणिज्यिक उपक्रमों की प्रचालनात्मक हानियां घटाने के दृष्टिगत प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त निवेश पर आय के रूप में स्थिति और बेहतर होगी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बेहतर निष्पादन के परिणामस्वरूप अस्थायी राजकोषीय रिआयतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

नीति मूल्यांकन

14. सुदृढ़ वृहत अर्थव्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों ने वर्षों तक एक राजकोषीय असंतुलन से उपजे वृहत-आर्थिक संकट की घटना को रोका है। सिर्फ इसलिए कि सरकारी घाटों के वित्तपोषण पर दवाब से कुछ राहत रही है, से यह अर्थ नहीं निकलता कि सार्वजनिक व्यय और निवेशों की गुणवत्ता पर दृष्टि डाले बिना कोई स्वतः राजकोषीय विस्तार हो सकता है। घाटों का वित्तपोषण उप-इष्टतम व्ययों द्वारा किए जाने की हद तक, ऐसी राजकोषीय विकृति में अनिवार्य वृद्धि के संबंध में अक्सर लागत तथा दुर्लभ संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी उपयोग में अर्थव्यवस्था की कीमत है।

15. छूटों में कटौती, पहलों और रियायतों द्वारा कराधान को विस्तृत करके, दर-बहुलता को कम करके,कर दरों में कमी, कर बोझ की स्थिति को उत्पादन से लागत की ओर विचलित करके, विनिर्माण पर अत्यधिक निर्भरता छोड़कर और सभी मूल्य वृद्धियों, जिन में सेवाएं शामिल हैं, पर कर लगाकर, वर्तमान और आगामी उपभोग के बीच तटस्थता को बढ़ाकर कर प्रणाली की तटस्थता को व्यापारिक संगठनों के स्वरूपों और वित्त के स्रोतों तक पहुँचाने, तथा कर वंचना और अपवंचन की संस्कृति से निपटने के लिए कर प्रणाली की व्यापारिक प्रक्रिया का पुनर्निर्माण, एक प्रभावी और सक्षम कर प्रणाली की स्थापना हेतु कर प्रशासन में व्यापारिक प्रक्रिया परिवर्तनों को लागू करना, कर नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को प्रचालित करने के लिए सरकार का लगातार प्रयास रहा है।

16. यद्यपि इस पर तर्क दिया गया है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का लोक व्यय से समानुपात थोड़ा है, फिर भी कम कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, ऋण का बोझ और उच्च घाटे विशिष्ट परिस्थितियाँ है जो विकासात्मक जरूरतों के बावजूद लोक व्यय में वृद्धि में बाधा उत्पन्न करती हैं। यह देखा गया है कि परिव्ययों पर प्रत्यक्ष फोकस तथा परिणामों में लापरवाही से विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में गंभीर अड़चने उत्पन्न हुई हैं। 2005-06 में, अतिरिक्त राजस्व घाटे में कमी न कर पाने में सरकार की असमर्थता टीएफसी की सिफारिशों के प्रभाव के कारण हैं, 26,000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय वित्त साधनों पर बड़ा राजकोषीय बोझ डाला है जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.75 प्रतिशत है। केन्द्रीय ऋणों के समेकन और पुनर्व्यवस्था, ब्याज दर में कमी और विभिन्न शीर्षों के अधीन विशिष्ट अनुदानों से केन्द्र सरकार की पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां, दोनों प्रभावित होंगी। इसके अलावा, अब विनिवेश प्राप्तियों को बजट से असंबद्ध कर दिया गया है। ये कहना व्यर्थ है कि इसका 2005-06 में एफआरबीएम अधिनियम का पालन करने में सरकार की क्षमता पर असर होगा। सरकार को 2005-06 में सुपुर्दगी व वित्तपोषण की नई पद्धति से समायोजन करने की आशा है। तत्पश्चात् राजस्व उत्प्लावकता और प्रक्रियाधीन कर सुधार सरकार को 2006-07 से राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने करने और 2008-09 तक एफआरबीएम लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ बनाएंगें।

17. केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कर सुधारों को सुदृढ़ करके, कर प्रशासन में विकसित ई-अभिशासन, बकाया राशियों से निपटने में अधिक संकेन्द्रित दृष्टिकोण और कर अपवंचकों के लिए बच निकलने का रास्ता बंद करने के प्रशासनिक/विधायी उपायों से मध्यावधि में अधिक राजस्व उत्प्लावकता आएगी। कर-भिन्न राजकोषीय पक्ष में सरकार निधियों की निर्मुक्ति प्रणाली को पुनर्गठित करके और उसके उपयोग के अनुवीक्षण के माध्यम से स्कीमों की समीक्षा, कम बजटीय व्यय पर उसी उद्देश्य वाले कार्यनिष्पादन स्तर हासिल करने की लागत में कटौती के उपायों से और प्रयोक्ता प्रभारों की समीक्षा के द्वारा व्यय में कार्यक्षमता लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य रख रही है। ये एफआरबीएम लक्ष्यों की पूर्ति के मार्ग पर लौटने की सरकारी कार्ययोजना के मुख्य आधार हैं।